**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)**
**पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना**
**राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 46/2018 Gcms No. 2018/00085**
**दायरा तिथि : 06.09.2018**
**प्राथमिक डिक्री दिनांकः 13.05.2022 फाईनल डिक्री दिनांक 02-8-22**

**वादी :–**

थानाराम पुत्र दुर्गारामजी जाति मेघवाल
निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली (राज0)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :–**

1. मुकेश कुमार पुत्र स्व. बस्तीमलजी
2. कमलेश कुमार पुत्र स्व. बस्तीमलजी
3. किशनकुमार पुत्र स्व. बस्तीमलजी
4. देवी पुत्री स्व. बस्तीमलजी
5. लता पुत्री स्व. बस्तीमलजी तमाम जाति ढोली
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
6. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

**उपस्थिति :–**

1. श्री अमृतलाल परिहार — अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री गणपतलाल चौधरी — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

**–:: निर्णय ::–**

दिनांक : 02-08-22

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 355 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 3.08 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–01 से 05 का संयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा होना वर्णित करते हुये रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रति की प्रति पेश की गई तथा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू–01 वादी स्वयं थानाराम के बयान कलम बद्व कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–02 व्यक्तिशः उपस्थित हुआ तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दिनांक 23.07.2019 को वकालत नामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की तलबी प्रोसेस सर्विस व रजिस्टर्ड डाक से नहीं होने से आदेश 05 नियम 20 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार इन प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन अखबार में छाया के माध्यम से कराये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के सम्मन स्थानिय दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में छाया करवाते हुये दिनांक 04.09.2021 के अखबार की प्रति पेश की गई। सम्मन अखबार में छाया के बावजुद प्रतिवादी संख्या 4 व 05 वकालतन/असालतन आदिनांक तक अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता को वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक जवाबदावा प्रस्तुती के लिये कई मर्तमा समय /अवसर दिये जाने के बावजुद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2022 को प्रतिवादी पक्ष का जवाबदावे का अवसर बंद किया गया, इसके साथ ही तहसीलदार, बाली विभाजन के वाद में फोरमल पक्षकार होने से दिनांक 11.05.2022 को इनका जवाब अवसर भी बंद करते हुये पत्रावली को वादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखी गई। दिनांक 12.05.2022 को वादी पक्ष के गवाह थानाराम का शपथ पत्र प्रस्तुत होने ने पर प्रदर्श लगाये जाकर बयान पुर्ण किये गये। वादी पक्ष द्वारा कोई गवाह प्रस्तुत करना नहीं चाहने से वादी पक्ष की साक्ष्य को बंद करते हुये वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 355 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 3.08 रूपये के संबध में रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का 1/2 हिस्सा अनुसार पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत दिनांक 13.05.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्ड में दर्ज खातेदारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/695 दिनांक 18.07.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कीः–

| नाम खातेदार | खसरा नंबर | रकबा (हैक्टर में) | किस्म | लगान (रूपयो में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| थानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेगवाल सा. नाना खातेदार | 355/1 | 0.21 | बारानी अव्वल. | 1.47 | गुलाबी रंग |
| मुकेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/5 कमलेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/5 किशनकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/5 देवी पुत्री बस्तीमल हि. 1/5 लता पुत्री बस्तीमल हि. 1/5 जातिगण ढोली सा. देह खातेदार | 355 | 0.21 | बारानी अव्वल | 1.47 | हरा रंग |

पेज लगातार.............02

Scanned with CamScanner

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 46/2018 Gcms No. 2018/00085**
**अनवान थानाराम बनाम मुकेशकुमार वगैरा**
**अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

| नाम खातेदार | खसरा नंबर | रकबा (हैक्टर में) | किस्म | लगान (रूपयो में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| थानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल हि. 1/2 सा. नाना मुकेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/10 कमलेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/10 किशनकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/10 देवी पुत्री बस्तीमल हि. 1/10 लता पुत्री बस्तीमल हि. 1/10 जाति ढोली सा. देह खातेदार | 355/2 | 0.02 | बारानी अव्वल. (गै.मु. रास्ता हेतु) | 0.14 | पीला रंग |

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री अमृत परिहार ने उपस्थित होकर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन से वकील वादी सहमत है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 355 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 3.08 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

| नाम खातेदार | खसरा नंबर | रकबा (हैक्टर में) | किस्म | लगान (रूपयो में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| थानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेगवाल सा. नाना खातेदार | 355/1 | 0.21 | बारानी अव्वल. | 1.47 | गुलाबी रंग |
| मुकेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/5 कमलेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/5 किशनकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/5 देवी पुत्री बस्तीमल हि. 1/5 लता पुत्री बस्तीमल हि. 1/5 जातिगण ढोली सा. देह खातेदार | 355 | 0.21 | बारानी अव्वल | 1.47 | हरा रंग |
| थानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल हि. 1/2 सा. नाना मुकेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/10 कमलेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/10 किशनकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/10 देवी पुत्री बस्तीमल हि. 1/10 लता पुत्री बस्तीमल हि. 1/10 जाति ढोली सा. देह खातेदार | 355/2 | 0.02 | बारानी अव्वल. (गै.मु. रास्ता हेतु) | 0.14 | पीला रंग |

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 3.08 **रूपये** के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**( सुश्री धायगुडे नेहल नाना )**
**आई.ए.एस.**
**पदेन सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी, बाली**

निर्णय आज दिनांक 02-08-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**पदेन सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी, बाली**

Scanned with CamScanner

## डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

**वादी :–**

थानाराम पुत्र दुर्गारामजी जाति मेघवाल
निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली (राज0)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :–**

1. मुकेश कुमार पुत्र स्व. बस्तीमलजी
2. कमलेश कुमार पुत्र स्व. बस्तीमलजी
3. किशनकुमार पुत्र स्व. बस्तीमलजी
4. देवी पुत्री स्व. बस्तीमलजी
5. लता पुत्री स्व. बस्तीमलजी तमाम जाति ढोली
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
6. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 46/2018 Gcms No. 2018/00085**

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन से वकील वादी सहमत है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 355 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 3.08 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

| नाम खातेदार | खसरा नंबर | रकबा (हैक्टर में) | किस्म | लगान (रूपयो में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| थानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेगवाल सा. नाना खातेदार | 355/1 | 0.21 | बारानी अव्वल. | 1.47 | गुलाबी रंग |
| मुकेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/5 कमलेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/5 किशनकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/5 देवी पुत्री बस्तीमल हि. 1/5 लता पुत्री बस्तीमल हि. 1/5 जातिगण ढोली सा. देह खातेदार | 355 | 0.21 | बारानी अव्वल | 1.47 | हरा रंग |
| थानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल हि. 1/2 सा. नाना मुकेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/10 कमलेशकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/10 किशनकुमार पुत्र बस्तीमल हि. 1/10 देवी पुत्री बस्तीमल हि. 1/10 लता पुत्री बस्तीमल हि. 1/10 जाति ढोली सा. देह खातेदार | 355/2 | 0.02 | बारानी अव्वल. (गै.मु. रास्ता हेतु) | 0.14 | पीला रंग |

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 3.08 **रूपये** के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02-08-22 को जारी किया गया।

मोहर

( सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, )
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner